लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 1295

11 फरवरी, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

सकल घरेलू उत्पाद में वस्त्र उद्योग का योगदान

1295. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लिः

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सकल घरेलू उत्पाद, विनिर्माण सकल मूल्यवर्धित (जीवीए), रोजगार सृजन और निर्यात में वस्त्र उद्योग के योगदान का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वस्त्र क्षेत्र ने गत दो वर्षों के दौरान किसी मंदी का अनुभव किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान कपास और मानव निर्मित रेशों (एमएमएफ) दोनों के लिए कच्चे माल की लागत का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र में कच्चे माल की लागत को कम करने के लिए कोई राजसहायता या वित्तीय सहायता प्रदान की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

वस्त्र राज्य मंत्री

(श्री पबित्र मार्घेरिटा)

(क) और (ख): भारतीय वस्त्र और अपैरल उद्योग भारत की आर्थिक वृद्धि, निर्यात को बढ़ावा देने, रोजगार सृजन करने, महिलाओं को सशक्त बनाने और भारत की समृद्ध विरासत और संस्कृति को प्रदर्शित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। राष्ट्रीय लेखा सांख्यिकी के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार, वस्त्र उद्योग वर्ष 2022-23 के दौरान देश के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 2% और विनिर्माण जीवीए में 11% का योगदान देता है। वस्त्र उद्योग देश में रोजगार सृजन के सबसे बड़े स्रोतों में से एक है, जो 45 मिलियन से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रुप से रोजगार प्रदान करता है। वर्ष 2023-24 के दौरान हस्तशिल्प सहित वस्त्र और अपैरल का कुल 35,874 मिलियन अमरीकी डॉलर का निर्यात दर्ज किया गया।

(ग): पिछले दो वर्षों के लिए कच्ची कपास और मानव निर्मित फाइबर (एमएमएफ) का थोक मूल्य सूचकांक (डब्ल्यूपीआई) नीचे दिया गया है:

(i) **कच्ची कपास**

मद	**2022-23**	**2023-24**
कच्ची कपास	195.9	159.6

(ii) **मानव-निर्मित फाइबर (एमएमएफ)**

मद	**2022-23**	**2023-24**
मानव निर्मित फाइबर का निर्माण	110.7	103.6
पॉलिएस्टर चिप्स या पॉलीइथिलीन टेरेफ्थेलेट (पीईटी)	98.6	92.0
ऐक्रेलिक फाइबर	124.8	116.6
विस्कोस स्टेपल फाइबर	95.9	93.7
पॉलिएस्टर फाइबर फैब्रिक	127.3	118.7

(घ) एवं (ङ): कच्ची सामग्री आपूर्ति योजना के अंतर्गत, सरकार पात्र हथकरघा बुनकरों को कॉटन हैंक यार्न, घरेलू रेशम, ऊनी एवं लिनन यार्न तथा प्राकृतिक फाइबर के मिश्रित यार्न पर 15% मूल्य सब्सिडी प्रदान करती है।

****